

उत्तर प्रदेश शासन
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग
संख्या-8/2022/892/63-व030-2202-155(एच)/2017

लखनऊ: दिनांक: 18 अगस्त, 2022

अधिसूचना:-

भारत का संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना संख्या-236/63-व030-2202-155(एच)/2017 दिनांक: 25 जनवरी, 2018 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल एण्ड गारमेंटिंग पॉलिसी-2017 की प्रभावी अवधि दिनांक 13.07.2022 से आगामी 03 माह के लिये विस्तारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 8/2022/892 (1)/63-व030-2022, तद्विनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग निदेशालय, 30प्र0 कानपुर।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, 30प्र0 कानपुर।
- 7- निदेशक, रेशम निदेशालय, लखनऊ।
- 8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, 30प्र0 लखनऊ।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0 के0 पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।